

श्री शांतिलाल अमृतलाल ठक्कर हिन्दी प्राथमिक शाला



संतरा मार्केट रोड, नागपूर - ४४००१८. फोन. नं. २७२५४९७

प्रवेश पत्र वर्ष — २०२३ — २०२४

माध्यम :- हिन्दी/आंशिक अंग्रेजी

मैं अपने पाल्य/पाल्या को आपके विद्यालय की कक्षा में प्रवेश दिलाना चाहता/चाहती हूँ। मैं विश्वास दिलाता/दीलती हूँ कि, प्रवेश प्राप्ति के पश्चात् वह विद्यालय के नियमों का पालन करेगा/करेंगी। मैं घोषित करता/करती हूँ कि, मेरी दी हुई निम्नांकित जानकारी सही है।

- १) पाल्य/पाल्या का पूरा नाम (कुल नाम प्रथम) _____
 - २) पाल्य/पाल्या का आधार कार्ड नं. _____
पिता का शिक्षण _____ मोबाईल नं. _____
माता का नाम _____ शिक्षण _____
 - ३) जाति (स्थलांतरण प्रमाणपत्रानुसार) _____ उपजाति _____
 - ४) जन्म स्थान _____ मातृभाषा _____
 - ५) जन्म तिथि (अंको में) _____
(अक्षरो में) _____
 - ६) उत्तीर्ण की गई पूर्व परीक्षा का नाम _____ वर्ष _____
 - ७) पूर्व शाला का नाम _____
 - ८) पिता का नाम व स्थानिय पता _____

 - ९) पिता/माता जीवित है अथवा नहीं _____
 - १०) पिता/माता का व्यवसाय _____ वार्षिक आय _____ (बी.पी.एल. कार्ड है/नहीं)
 - ११) पाल्य/पाल्या का क्रमांक _____ हस्ताक्षरकर्ता का संबंध _____
- (पिता/माता न होने पर भरा जाए)
- १२) स्थानीय पालक का पूरा नाम और पता _____

 - १३) पालक की पिछले वर्ष की आय _____

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

माता/पिता/पालक

केवल कार्यालय के लिये

दाखल क्रमांक _____

लिपिक के हस्ताक्षर

मुख्याध्यापक के हस्ताक्षर

कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर

नियमावली

- १) प्रत्येक छात्र/छात्रा को शाला के नियम व अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। इसके विरुद्ध आचरण करनेवाले छात्र/छात्रा पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
- २) बिना अनुमति लगातार एक सप्ताह अनुपस्थित रहने पर नाम खारिज कर दिया जायेगा।
- ३) छात्र/छात्रा को बिना पूर्ण गणवेश के विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- ४) प्रत्येक छात्र-छात्रा को विद्यालय द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम एवम् खेलकूद में भाग लेना चाहिए।
- ५) छात्र/छात्रा द्वारा शाला की वस्तुओं का किसी भी प्रकार का नुकसान करने पर भरपाई देनी पड़ेगी।
- ६) प्रत्येक छात्र/छात्रा को शाला के नियमानुसार प्रतिदिन उपस्थित रहना अनिवार्य है।
- ७) एक ही कक्षा में लगातार दो बार अनुपस्थित होने पर छात्र/छात्रा का नाम विद्यालय से खारिज कर दिया जाएगा।
- ८) छात्र/छात्रा की उपस्थिति कम से कम ७५% होना चाहिए।
- ९) माह की १५ तारीख तक प्रत्येक महिने का शुल्क देना आवश्यक है।
- १०) यदि छात्र/छात्रा शुल्क रियायत चाहता है तो शुल्क रियायत का पूरा फार्म ठीक से भरकर प्रवेश के बाद १५ दिन के अंदर कक्षा शिक्षक को देना आवश्यक है।
- ११) प्रत्येक माता पिता के प्रथम दो बच्चों को ही सरकार की ओर से शुल्क रियायत मिलेगी।
- १२) समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत शुल्क रियायत दी जाएगी। किसी कारणवश किसी छात्र/छात्रा की शुल्क रियायत शासन द्वारा नामजूर होने पर उसे पूर्ण शुल्क देना पड़ेगा।
- १३) अल्पसंख्यांक विध्यवृत्ती से संबंधित कागदपत्र पूर्ण जानकारी सहित समय पर नहीं जमा किये गए तो उस हेतु विद्यालय जबाबदार नहीं रहेगा।

उपरोक्त नियम हमने ध्यानपूर्वक पढे है और वे हमें मान्य है।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

माता/पिता/पालक

प्रधानाध्यापक